

## राजस्थान सरकार

### निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक.-नर्सिंग / नर्स-2(F) / बी-17 / 2019 /

दिनांक:-

### आदेश

श्रीमती बबीता, नर्स-2, (परिवीक्षाधीन), पं. दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज, चूरु का चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर निम्नानुसार आवेदित अवकाश स्वीकृत किया जाता है-

क्र. सं.	दिनांक से	दिनांक तक	अवधि दिवस में	अवकाश का प्रकार
1	20.01.17	02.02.17	14	असाधारण अवकाश

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक **F.1(2)FD(Rules)/06/Part-1** दिनांक 11.06.2014 के अनुरारण में एक माह से अधिक अवधि के उपरान्त उपभोग किये गये असाधारण अवकाश की सीमा तक उनके परिवीक्षाकाल में अभिवृद्धि की जावेगी।

-sd

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग / नर्स-2(F) / बी-17 / 2019 / 759

दिनांक:-24/5/19

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधानाचार्य, पं. दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज, चूरु।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ़, चूरु।
3. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सेरुणा, झुंजरगढ़, बीकानेर/ नोसरिया, चूरु।
4. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
3. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर आदेश अपलोड करें।
4. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर